न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 70/2016 प्रार्थना पत्र

उनवान

श्रीमती नारायण बागरिया पुत्री स्व0 श्री भूरा बागरिया निवासी नई ईरास, ग्राम पंचायत सुवाणा, पंचायतसमिति सुवाणा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थीया

बनाम ग्राम पंचायत सुवाणा जरिये सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत सुवाणा पंचायत समिति सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा0दीवानी

आदेश

दिनांक : /07/2017

प्रार्थीया श्रीमती नारायणी बागरिया के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा बहैंसियत निगराकार एक निगरानी विरूद्ध आदेश एवं निर्णय ग्राम पंचायत सुवाणा एवं स्थायी समिति, पंचायत समिति सुवाणा न्यायालय श्रीमान में दिनांक 11.05.2016 को पेश की थी जो बाद सुनवाई न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 08.09.2016 को बहक निगराकार प्रार्थीया निर्णित फरमायी है एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को अपास्त फरमाया गया।

प्रार्थीया निगराकार ने निर्णय व आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि न्यायालय श्रीमान ने अपने निर्णय व आदेश में क्रियाशील आदेश (operative) में निगरानी निगराकार स्वीकार फरमा कर आलोच्य आदेशों को अपास्त कर दिया परन्तु इसके बाद आदेश के दूसरे पैरा में निर्देशात्मक रूप से लिखा है जो निम्न प्रकार से है:–

" प्रकरण के गुणावगुणों के आधार पर विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने स्व0 भूरा पिता हीरा बागरिया के पक्ष में दिनांक 02.03.1982 को विवादित भूखण्ड आवंटन किया जाकर दिनांक 31.08.1982 को पट्टा विलेख जारी किया गया, जिसमें 64 बाई 40 वर्गफीट का भूखण्ड होकर कुल 2560 वर्गफीट भूखण्ड स्व0 भूरा बागरिया को आवासीय प्रयोजन हेतु निःशुल्क जारी किया गया। तथाकथित पट्टा जारी करने के उपरान्त अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने दिनांक 18.08.2008 को अमरा, तौला, रूकमणी बेवा जगदीश, श्रवण, जयराम पिता भूरा बागरिया के पक्ष में पुराने गृह को विनियमितिकरण करते हुए पट्टा जारी कर दिया, जबकि पुराने गृह विनियमितिकरण का पट्टा दिनांक 18.08.2008 को जारी किया उससे पहले ही पट्टेधारियों के स्व0 पिता भूरा पिता हीरा बागरिया के पक्ष में दिनांक 31.08.1982 को विवादित भूखण्ड को निःशुल्क पट्टा जारी किया गया, जिसमें भूखण्ड को विक्रय करने पर भी प्रतिबन्धित होने की शर्त का उल्लेख किया हुआ है। दिनांक 31.08.1982 को जारी किये गये पट्टे के बारे में अब तक किसी भी न्यायालय में किसी भी पक्ष की

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ओर से चाराजोही नहीं की गई है, जिससे उक्त निःशुल्क पट्टा आज भी पूर्णतया अपने आप में यथास्थिति(स्टेडिंग) है। उक्त विवादित जायदाद का निःशुल्क पट्टा जो स्व0 भूरा के पक्ष में जारी किया गया और भूरा का निधन हो जाने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व0 भूरा पिता हीरा बागरिया के विधिक वारिसान वादग्रस्त जायदाद में अपने स्वामित्व के लिए सिविल न्यायालय में जाकर हक अधिकारों की अवधारणा कराने के लिए स्वतन्त्र है।" उपरोक्त वर्णित निर्देश बदाचित न्यायालय श्रीमान के निर्णय एवं आदेश के भाग त्रुटिवश हो गये हैं जिन्हें निर्णय एवं आदेश में यथावत कायम रखा जाना उचित नहीं होगा।

सहवन से निर्णय दिनांक को किसी पक्षकार द्वारा तर्क प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद भी उक्त तर्क सम्मिलित हो गये हैं जो टंकण व क्लरिकल मिस्टेक से सम्मिलित हो गये हैं जो निगरानी निर्णय में अवांछनीय है।

अतः सादर प्रार्थना है कि उपरोक्त पारित सुदा निर्णय व आदेश दिनांक 08.09.2016 के क्रियाशील आदेश के पेरा संख्या 1 के पश्चात दिया गया निर्देशात्मक आदेश को निर्णय व आदेश में से कम किया जाकर निर्णय का पुनः लेखन किया जाने का आदेश बक्षावें ताकि न्याय की गरिमा कायम रह सके।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी ग्राम पंचायत सुवाणा की ओर से प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के खण्डन में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुनरीक्षक प्रार्थीया द्वारा पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थीया पुनरीक्षक के पक्ष में कोई निर्णय नहीं हुआ अपितु निर्णय यह हुआ कि " भूरा पिता हीरा बागरिया के विधिक वारिसान वादग्रस्त जायदाद में अपने स्वामित्व के लिये सिविल न्यायालय में जाकर हक व अधिकारों की अवधारणा कराने के लिये स्वतंत्र है" उक्त निर्णय व निर्देश किसी भी रूप में ऐसे नहीं कहे जा सकते हैं जो किसी लिपिकीय अथवा गणितीय भूल या लोपवश हुये हों। इस प्रकार न्यायालय ने उक्त निर्णय में यह निर्धारित किया है कि धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत केवल लिपिकीय व गणितीय भूल अथवा त्रुटी को ही सुधारा जा सकता है। इन परिस्थितियों में जो निष्कर्ष न्यायालय श्रीमान द्वारा पूरे विचार विमर्श के पश्चात पारित किया है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि आदेश करने वाले न्यायालय आदेश पारित करते ही ऐसे निर्णय के पद कार्य से निव्रत हो गये हैं। अतः वे उस निर्णय में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। अतः प्रार्थना है कि पुनरीक्षक का यह आवेदन सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय निर्णय दिनांक 08.09.2016 के क्रियाशील आदेश के पेरा संख्या 1 के पश्चात दिया गया निर्देशात्मक आदेश को विलोपित किए जाने का निवेदन किया। प्रार्थीया के द्वारा ए.आइ.आर.2003 पेज एस.सी. 351 लक्ष्मीराम भुयां बनाम हरि प्रसाद भुयां का उद्धरण एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या (1980) O BBCJ 558/(1981)O BLJR 236/(1980) O BLJ 298/(1980) O AIR(Pat) 204 Thakur Ram Sahai Sinha V/s Mostt.Bimla Devi का उद्धरण प्रस्तुत किया। बसह में विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्र के खण्डन में अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई एवं निष्कर्ष के पश्चात यह निर्देशात्मक आदेश जारी किया है जो कि धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता के द्वारा संशोधन योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में प्रस्तुत उद्धरणों एवं इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 08.09.2016 का अध्ययन किया। प्रार्थीया के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.09.2016 के क्रियाशील आदेश के प्रथम पेरा के पश्चात जो निर्देशात्मक आदेश का अंकन किया है उसे विलोपित करवाना चाहती है। जैसाकि प्रार्थीया के द्वारा अपने भाईयों की ओर से दिनांक 18.08.2008 को ग्राम पंचायत सुवाणा से आवासीय भूमि का गलत पट्टा जारी कराने एवं अवैध बैचान को चुनौती दी गई थी जिसे स्वीकार करते हुए उक्त पट्टा व ग्राम पंचायत सुवाणा के आदेश दिनांक 05.05.2016 एवं स्थाई समिति सुवाणा के आदेश दिनांक 14.08.2014 को निगरानी संख्या 22/2016 निर्णय दिनांक 08.09.2016 से निरस्त किया गया। प्रार्थीया ने अपने स्वर्गीय पिता भूरा पिता हीरा बागरिया के नाम दिनांक 31.08.1982 को ग्राम पंचायत सुवाणा द्वारा जारी आवासीय प्रयोजन हेतु निःशुल्क पट्टा 64 बाई 40 वर्गफीट भूखण्ड कुल 2560 वर्गफीट के सम्बन्ध में प्रार्थीया ने निगरानी प्रस्तुत नहीं की ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा आज भी यथावत है। प्रार्थीया ने निगरानी में अपने स्वर्गीय पिता के नाम जारी पट्टे को अपने नाम हक व उत्तराधिकार के आधार पर पट्टा जारी करने का निवेदन किया। चूंकि स्वर्गीय भूरा पिता हीरा बागरिया के पट्टे वाली भूमि में उसके वारिसान में हक व अधिकारिता के सम्बन्ध में विवाद होने से इसका निर्धारण सिविल न्यायालय के स्तर से ही संभव है। इसी आधार पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.09.2016 के प्रथम पेरा के पश्चात दिया गया क्रियाशील आदेश उचित है। उक्त पेरा को धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इस न्यायालय द्वारा हटाया नहीं जा सकता है क्योंकि यह लिपिकीय या गणितीय त्रुटी नहीं है । इस संशोधन से निर्णय का स्वरूप ही बदल जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर :–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.09.2016 में किसी प्रकार की लिपिकीय, टंकण या गणितीय त्रुटी नहीं हुई है । प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो संशोधन चाहती है वह इस न्यायालय स्तर से सुधारा नहीं जा सकता है। अतःप्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.07.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा राजस्थान